भारत 2018 अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट

कार्यकारी सारांश

संविधान अंत:करण की स्वतंत्रता तथा सभी व्यक्तियों को निर्बाध रुप से धर्म को मानने, उसका पालन करने, और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है; धर्म-निरपेक्ष राज्य का आदेश देता है; राज्य के लिए सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार आवश्यक बनाता है; और धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि नागरिकों को अपने विश्वास का इस तरह पालन करना होगा कि उसका सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। 29 राज्यों में से नौ में ऐसे विधान हैं जो धर्म-परिवर्तन पर सीमाएं लगाते हैं। कुछ मानवाधिकार दलों का कहना है कि ये क़ानून अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति विद्वेष को प्रोत्साहन देते हैं। ग़ैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने ऐसी रिपोर्टें दीं कि कई बार सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों, पिछड़े समुदायों, और सरकार के आलोचकों पर भीड़ द्वारा किए गए हमलों पर क़दम उठाने में नाकाम रही। हिंदू-बहुल भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने अल्पसंख्यक समुदायों के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण दिए। हिंसात्मक अतिवादी हिंदू दलों की भीड़ द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुसलमानों, के विरुद्ध हमले इन अफ़वाहों के बीच जारी रहे कि हमले का शिकार हुए लोगों ने गोमांस के लिए गायों का व्यापार या वध किया था। कुछ एनजीओ के अनुसार अधिकारियों ने अक्सर ऐसे कृत्य करने वालों को अभियोजन से बचाया। नवंबर तक ऐसे 18 हमले हुए, और वर्ष के दौरान 8 लोग मारे गए। 22 जून को, उत्तर प्रदेश के 2 पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक नर हत्या का अभियोग लगाया गया जब एक मुसलमान पशु व्यापारी उन चोटों के कारण मर गया जो उसे पुलिस की हिरासत में पूछताछ के दौरान आई थीं। एक अलग घटना में, झारखंड में एक अदालत ने एक स्थानीय बीजेपी अधिकारी सहित 11 लोगों को एक मुसलमान को पीट पीट कर मार डालने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जिसके बारे में हत्यारों का विश्वास था कि वह गोमांस का व्यापार करता है। 17 जुलाई को, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “उग्र गौ संरक्षण” के नाम पर हिंसा अस्वीकार्य है और ऐसी घटनाओं को रोकने की ज़िम्मेदारी राज्यों पर है। धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों में क़ानून प्रवर्तन कर्मिकों के उलझाव के आरोप भी शामिल थे। 10 जनवरी को, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने एक 8 वर्षीय लड़की के अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या के सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ़्तार किया जिनमें चार पुलिसवाले भी शामिल थे। आरोप है कि इन लोगों ने लड़की के खानाबदोश मुस्लिम समुदाय को क्षेत्र से बाहर खदेड़ देने के प्रयास में उस लड़की का अपहरण किया, उसे समीप के एक मंदिर में ले गए, उसका बलात्कार किया और उसे मार डाला। सितंबर में, मेरठ में एक हिंदू महिला के साथ इस कारण दुर्व्यवहार के वीडियो सामने आने के बाद कि उस महिला के एक मुस्लिम पुरुष के साथ कथित यौन-संबंध थे, उत्तर प्रदेश अधिकारियों ने तीन पुलिस वालों को निलंबित कर दिया। केंद्र और राज्य सरकारों और राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों ने मुस्लिम प्रथाओं तथा संस्थाओं के प्रभावित करने वाले क़दम उठाए। सरकार ने मुस्लिम शैक्षणिक संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के प्रति, जो नौकरी और पाठ्यक्रम संबंधी निर्णयों में उन्हें स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती जारी रखी। भारत के शहरों के मुस्लिम-उद्गम वाले नामों को बदलने के प्रस्ताव जारी रहे, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करना। सक्रियवादियों का कहना था कि इन प्रस्तावों का लक्ष्य है भारतीय इतिहास में मुस्लिम योगदानों को मिटाना और इसके परिणाम में सामुदायिक तनावो में वृद्धि हुई है।

धार्मिक रूप से प्रेरित हत्याओं, हमलों, दंगों, भेदभाव, तोड़ फोड़, और ऐसे कृत्यों की रिपोर्टें सामने आईं जो लोगों के अपने धार्मिक विश्वासों का पालन करने और धर्म प्रचार के अधिकार पर प्रतिबंध लगाते हैं। घरेलू मामलों के मंत्रालय (एमएचए) द्वारा 6 फ़रवरी को संसद के निचले सदन में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2017 तक साम्प्रदायिक घटनाओं में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2017 में 822 घटनाओं के परिणाम में 111 मौतें और 2,384 चोटें सामने आईं। अधिकारी अक्सर "उग्र गो संरक्षकों" द्वारा किए गए हमलों के लिए उन पर मुक़दमे चलाने में असफल रहे जिनमें हत्याएं, भीड़ द्वारा हिंसा, और डराना धमकाना शामिल है। 21 जुलाई को, एक गिरोह ने हरियाणा के डेरी फ़ार्म चलाने वाले एक मुसलमान, रकबर ख़ान पर हमला किया और उसे मार डाला जब वह रात के समय दो गायों को ढो कर ले जा रहा था। दिसंबर में अनुमानतः 300 लोगों ने, जो इन रिपोर्टों से क्रोधित थे कि इलाके में गायों का वध किया जा रहा है, चिग्रावती में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और एक पुलिस अफ़सर को मार डाला। हिंसा में 18 वर्ष का एक विरोध-प्रदर्शनकर्ता भी मारा गया। 17 मई को मध्यप्रदेश के सतना ज़िले में एक भीड़ ने दो मुस्लिम पुरुषों पर यह आरोप लगाते हुए कि वे एक बैल का वध कर रहे थे, हमला किया और एक को मार डाला। पुलिस ने चार हमलावरों को गिरफ़्तार कर लिया और जीवित बचे घायल व्यक्ति के ख़िलाफ़ कथित गोहत्या की शिकायत दर्ज की। 20 जनवरी को एक ईसाई पादरी तमिलनाडु में अपने घर पर मृत पाया गया। उनके धर्म-संघ के सदस्यों का आरोप था कि उसकी हत्या की गई, और कि वह हिंदु रुढ़िवादी संगठनों द्वारा अतीत में अक्सर परेशान किए जाने की घटनाओं का शिकार रहा था। एनजीओ परसीक्यूशन रिलीफ़ की 2017 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, जो जनवरी में जारी की गई, सन् 2016 में 348 के मुकाबले 2017 में ईसाइयों के विरुद्ध उत्पीड़न की 736 घटनाएं घटीं। परंपरा और सामाजिक रिवाज के कारण अनेकों पूजा-स्थलों पर महिलाओं और दलित (भूतपूर्व अछूत) समुदायों के सदस्यों के प्रवेश पर रोक जारी रही। दिसंबर में शिव सेना पार्टी ने एक संपादकीय प्रकाशित किया जिसमें सरकार से मांग की गई कि वह मुसलमानों के लिए अनिवार्य परिवार नियोजन जैसे उपायों के ज़रिए देश की मुस्लिम आबादी की वृद्धि पर लगाम लगाए। 28 सितम्बर को सर्वोच्च न्यायालय ने केरल में सबरीमाला हिन्दू मंदिर में 10 से 50 वर्ष के बीच की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर लगे निषेध को पलट दिया। मीडिया के अनुसार यह ऐसा कदम था जिसने देश भर में राजनीतिक विवाद भड़का दिया।

अमेरिका सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों, सभ्य समाज और धार्मिक स्वतंत्रता सक्रियवादियों, तथा विभिन्न धार्मिक समुदायों के धार्मिक नेताओं के साथ पूरे वर्ष धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करने और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित किया। मार्च में एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने चेन्नई और मुंबई में श्रोतागणों के साथ जातीय और प्रजातीय सहिष्णुता पर विचार-विमर्श किया। जून में राजदूत और भारत यात्रा पर आए संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका के राजदूत ने दिल्ली में अनेक धार्मिक नेताओं के साथ मुलाक़ातों के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया। राजदूत ने भारत में जो भी यात्राएं कीं उनमें से लगभग सभी में उन्होंने, बौद्ध, ईसाई, हिन्दू, जैन, यहूदी, मुस्लिम और सिक्ख धर्मों के प्रतिनिधियों सहित, धार्मिक समुदायों के साथ विचार-विमर्श किया। अगस्त में अमेरिका के विदेश विभाग के दक्षिण और मध्यवर्ती एशियाई मामलों के ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी ने भारत की यात्रा की और धार्मिक स्वतंत्रता तथा सहिष्णुता के

बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए अनेक धार्मिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ नेताओं के साथ गोल-मेज़ बैठक आयोजित की। दिसंबर में अमेरिका के विदेश विभाग में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सलाहकार ने दिल्ली और लखनऊ में उन चुनौतियों के बारे में बातचीत करने के लिए सरकारी अधिकारियों, धार्मिक अल्पसंख्यक दलों, और सभ्य समाज प्रतिनिधियों से मुलाक़ात की जिनका भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को सामना करना पड़ता है।

खंड I. धार्मिक जनसांख्यिकी

अमेरिका सरकार का अनुमान है कि कुल आबादी 130 करोड़ है (जुलाई 2018 का अनुमान)। सन् 2011 की राष्ट्रीय जनगणना, जो कि सबसे ताज़ा ऐसा वर्ष है कि जबकि पृथक्कृत आंकड़े उपलब्ध हैं, के अनुसार हिंदू कुल आबादी का 79.8 प्रतिशत, मुसलमान 14.2 प्रतिशत, ईसाई 2.3 प्रतिशत और सिक्ख 1.7 प्रतिशत भाग हैं। वे दल जो कुल मिलाकर जनसंख्या के 1 प्रतिशत से भी कम हैं उनमें बौद्ध, जैन, जोरास्ट्रियन (पारसी), यहूदी, और बहाई शामिल हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय सरकारी तौर पर अनुसूचित जनजातियों - वे आदिवासी दल जो ऐतिहासिक रूप से जाति-प्रथा से बाहर रहे हैं और जो अक्सर जीववाद और आदिवासी धार्मिक विश्वासों को मानते रहे हैं - के 10 करोड़ 40 लाख से भी अधिक सदस्यों को सरकारी आंकड़ों में हिंदुओं के रूप में वर्गीकृत करता है। लगभग एक तिहाई ईसाइयों को भी अनुसूचित जनजातियों के अंग के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है।

सरकारी अनुमानों के अनुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, और केरल राज्यों में अल्पसंख्यक मुसलमानों की बड़ी-बड़ी आबादियां हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य में मुसलमान आबादी का 68.3 प्रतिशत हिस्सा है, जो कि अकेला ऐसा राज्य है जहां वे बहु-संख्या में हैं। 85 प्रतिशत से कुछ अधिक मुसलमान सुन्नी हैं, शेष में अधिकांश शिया हैं। ईसाई आबादियां सारे देश में पाई जाती हैं लेकिन उनका बृहत्तर संकेंद्रण उत्तर पूर्व में, और साथ ही दक्षिणी राज्यों केरल, तमिलनाडु, और गोवा में पाया जाता है। तीन छोटे उत्तर पूर्वी राज्यों में ईसाइयों की बड़ी बहुसंख्यक आबादियाँ हैं: नागालैंड(जनसंख्या का 90 प्रतिशत), मिज़ोरम (87 प्रतिशत) मेघालय (70 प्रतिशत)। सिक्ख पंजाब की आबादी का 54 प्रतिशत हिस्सा हैं। दलाई लामा के कार्यालय का अनुमान है कि पुनर्वासित तिब्बती बौद्ध लोगों के काफ़ी बड़े समुदाय हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, और दिल्ली में मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी संबंधी उच्चायुक्त के अनुसार, देश में लगभग 108,000 तिब्बती बौद्ध और बर्मा से आये 21,000 शरणार्थी मौजूद हैं।

खंड II. धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति सरकार के सम्मान की स्थिति

क़ानूनी ढांचा

संविधान एक धर्म-निरपेक्ष राज्य का आदेश देता है और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा सभी लोगों को निर्बाध रूप से धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। यह धर्म के आधार पर सरकार द्वारा भेदभाव की मनाही करता है जिसमें रोज़गार के साथ साथ ऐसी सार्वजनिक या निजी सुविधाओं अथवा प्रतिष्ठानों तक, जो आम जनता के लिए खुले हैं, व्यक्ति की पहुंच पर धर्म आधारित किसी भी तरह की पाबंदियो की मनाही भी शामिल है। संविधान कहता है कि धार्मिक दलों को धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने, धार्मिक विषयों में अपने मामलों का स्वयं प्रबंध करने, तथा संपत्ति का स्वामी होने, उसे प्राप्त करने, और उसका संचालन करने का अधिकार है। यह किसी भी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने या बनाए रखने के लिए किसी को कर अदा करने के लिए मजबूर करने पर निषेध लगाता है। राष्ट्रीय और राज्यों के क़ानून धर्म की स्वतंत्रता को “सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, और स्वास्थ्य के अधीन रखते हुए" स्थापित करते हैं। संविधान मांग करता है कि राज्य एक ऐसी नागरिक आचार संहिता निर्मित करने का प्रयास करेगा जो एक समान हो देश भर में सभी धर्मों के सदस्यों पर लागू हो।

संघीय क़ानून सरकार को ऐसे धार्मिक संगठनों पर निषेध लगाने का अधिकार देता है जो अंतर-साम्प्रदायिक तनाव भड़काते हों, आतंकवाद या राजद्रोह में संलग्न हों, या विदेशी अंशदानों का नियमन करने वाले क़ानूनों का उल्लंघन करते हों।

29 राज्यों में से नौ में ऐसे क़ानून हैं जो धर्म-परिवर्तन पर सीमाएं लगाते हैं: अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड। राजस्थान में 2008 में पारित विधेयक का केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पुनरावलोकन किया कि उसकी व्यवस्थाएं मौजूदा राष्ट्रीय क़ानूनों और संविधान से मेल खाती हैं, लेकिन उसे अभी देश के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है जो क़ानून के प्रभावी होने के लिए आवश्यक है। मार्च में, उत्तराखंड धर्म परिवर्तन विरोधी क़ानून पारित करने वाला नवीनतम राज्य बन गया, जिसने इसे ग़ैर-ज़मानती अपराध बनाया है। यह क़ानून अप्रैल से लागू हुआ और अगस्त में वे व्यवस्थाएं जोड़कर इसे और मजबूत बनाया गया जो राज्य को ऐसे संस्थानों का पंजीकरण रद्द करने की इजाज़त देती हैं जिनका जबरन धर्म-परिवर्तन में उलझाव हो। केवल पांच राज्यों ने ऐसे नियम लागू किए हैं जो इन क़ानूनों के प्रवर्तन के लिए ज़रूरी हैं।

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड “ताक़त” के इस्तेमाल, “लालच दे कर”, अथवा “कपट पूर्ण साधनों” के द्वारा धर्म-परिवर्तन पर निषेध लगाते हैं, और मांग करते हैं कि धर्म-परिवर्तन का कोई भी इरादा हो तो एक महीना पहले ज़िला अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाए। हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में भी “ताक़त”, “लालच” या “धोखाधड़ी” के ज़रिए धर्म परिवर्तन के विरुद्ध ऐसे ही निषेध लागू हैं, तथा किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे धर्म परिवर्तन को उकसाना वर्जित है। ओडिशा में यह नियम है कि जो लोग किसी अन्य धर्म को अपनाने की इच्छा रखते हों और जो धर्म-गुरु ऐसे धर्म परिवर्तन समारोह का संचालन करने का इरादा रखते हों उन्हें सरकार को औपचारिक नोटिस देना होगा। उल्लंघनकर्ताओं पर, जिनमें मिशनरी तथा धर्म-परिवर्तन को प्रोत्साहन देने वाले अन्य धार्मिक लोग शामिल हैं, जुर्माने लगाए जा सकते हैं तथा अन्य दंड दिए जा सकते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में 3 वर्ष तक की क़ैद और मध्य प्रदेश में 4 वर्ष तक का कारावास यदि धर्म परिवर्तन करने वाला नाबालिग, महिला, या सरकार-निर्दिष्ट, ऐतिहासिक रूप से वंचित दलों (जिन्हें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है) के सदस्य हों। गुजरात में यह ज़रूरी है कि किसी भी तरह के धर्म परिवर्तन के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट से पहले इजाज़त ली जाए और जबरन धर्म-परिवर्तन के लिए 3 वर्ष तक की क़ैद और 50,000 रुपए (720 डॉलर) तक के जुर्माने की सज़ा दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में सज़ाओं में 2 वर्ष तक का कारावास और/अथवा 25,000 रुपए (360 डॉलर) तक का जुर्माना शामिल है। ऐसे धर्म परिवर्तनों के लिए, जिनमें नाबालिगों, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों, अथवा ओडिशा के मामले में, महिलाओं का उलझाव हो तो सज़ाओ में जुर्माने के मुक़ाबले कारावास का दंड शामिल हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, हिंदू धर्म से किसी अन्य धर्म में परिवर्तन आमतौर पर "जाति से निष्कासन की तरह काम करता है” क्यों कि जाति एक ऐसा ढांचा है जो हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है। जातीय संबद्धता की सामाजिक परिभाषा किसी व्यक्ति के लिए जाति के आधार पर सरकारी लाभों की पात्रता की निर्धारक होती है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क़ानून के अनुसार, अधिकारी किसी अन्य धर्म के पूजा स्थल के समीप धर्मांतरण की मनाही कर सकते हैं। उल्लंघन करने पर सज़ा में 3 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपए (72डॉलर) तक का जुर्माना शामिल हो सकता है।

संघीय दंड संहिता "धर्म के आधार पर विभिन्न दलों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने," और “मेल-मिलाप बनाए रखने के लिए हानिकारक कृत्यों" को अपराध ठहराती है, जिसमें ऐसे कृत्य शामिल हैं जो धार्मिक दलों और सदस्यों को हानि या क्षति पहुंचाएं। दंड संहिता "किसी भी वर्ग की धार्मिक-भावनाओं को भड़काने के इरादे से उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के लिए जान-बूझकर और विद्वेषपूर्ण कृत्यों" की भी मनाही करती है। इनमें से किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष तक की क़ैद, जुर्माना, अथवा दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। यदि अपराध पूजा स्थल पर किया गया हो तो कारावास की अवधि 5 वर्ष तक हो सकती है।

धार्मिक दलों के पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि संघीय क़ानून की यह मांग है कि धर्म से जुड़े संगठन अपने खातों के लेखा-परीक्षण की रिपोर्टें और अपनी गतिविधियों की अनुसूची बनाए रखें और अनुरोध किए जाने पर राज्य सरकार के अधिकारियों को यह उपलब्ध कराएं।

एक संघीय क़ानून, एनजीओ, जिनमें धर्म आधारित संगठन भी शामिल हैं, को प्राप्त विदेशी योगदानों का नियमन करता है । “सुनिश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, या सामाजिक कार्यक्रमों” वाले संगठनों के लिए विदेशी निधि प्राप्त करने के वास्ते संघीय सरकार का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। संघीय सरकार यह मांग भी कर सकती है कि पंजीकृत संगठन विदेशी निधि स्वीकार करने या हस्तांतरित करने से पहले पूर्व-अनुज्ञा प्राप्त करें। संघीय सरकार पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए अर्जी अथवा निधि हस्तांतरण के लिए पूर्व-अनुज्ञा का अनुरोध नामंज़ूर कर सकती है यदि वह यह निर्णय करे कि प्रापक “धार्मिक, जातीय, सामाजिक, भाषाई, क्षेत्रीय दलों, जातियों या समुदायों के बीच तालमेल" पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

संविधान में कहा गया है कि क़ानून में हिंदुओं के किसी भी उल्लेख का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह सिक्ख, जैन, और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का भी उल्लेख है, जिसका यह मतलब हुआ कि हिंदुओं पर लागू होने वाले क़ानून उन पर भी लागू होते हैं, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम। उत्तरवर्ती विधेयकों में हिंदू शब्द का इस तरह इस्तेमाल जारी रहा है कि उनमें सिक्ख, बौद्ध, बहाई और जैन भी शामिल हैं, लेकिन यह स्पष्ट किया गया कि ये पृथक धर्म हैं जिनके मानने वालों को भी इस विधेयक में शामिल किया गया है।

संघीय क़ानून 6 धार्मिक दलों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्रदान करता है: मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, पारसी, जैन, और बौद्ध। राज्य सरकारें ऐसे धार्मिक दलों को अल्पसंख्यक दर्जा दे सकती हैं जो किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में अल्पसंख्या में हैं और उन्हें राज्य के क़ानून के तहत अल्पसंख्यक निर्दिष्ट कर सकती हैं। अल्पसंख्यक दर्जा इन दलों को कई सरकारी सहायता कार्यक्रमों का पात्र बना देता है। संविधान में कहा गया है कि सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के अस्तित्व की रक्षा करेगी और उनकी अलग-अलग विशिष्टताओं के संवर्धन के लिए परिस्थितियों को प्रोत्साहन देगी।

विवाह, तलाक़, गोद लेना, और उत्तराधिकार के मामलों में व्यक्तिगत दर्जा क़ानून कई धार्मिक समुदायों के सदस्यों के अधिकारों का निर्धारण करता है। हिंदू, ईसाई, पारसी, यहूदी, और इस्लामी व्यक्तिगत दर्जा क़ानूनों को क़ानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है और न्यायिक रूप से उन्हें लागू किया जा सकता है। व्यक्तिगत दर्जे से संबद्ध वे मामले जो किसी समुदाय के लिए एक अलग क़ानून में परिभाषित नहीं है, वे हिंदू व्यक्तिगत दर्जा क़ानूनों के तहत आते हैं। लेकिन ये क़ानून राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय विधानों या संवैधानिक व्यवस्थाओं से ऊपर नहीं हो सकते। सरकार अखिल भारतीय मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून बोर्ड को और पारसी समुदाय को प्रथागत व्यवहारों को परिभाषित करने में स्वायत्तता प्रदान करती है। यदि क़ानून बोर्ड या समुदाय के नेता संतोषजनक समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाते तो मामला नागरिक अदालतों के सामने रखा जाता है।

संघीय क़ानून अलग-अलग धर्मों के वर-वधू को धर्म-परिवर्तन किए बग़ैर विवाह करने की अनुमति देता है। अंतर-धार्मिक वर-वधु के लिए, जैसा कि सिविल मैरिज करने वाले वर-वधू के लिए भी है, सार्वजनिक टीका-टिप्पणी के लिए 30 दिन पहले सार्वजनिक नोटिस उपलब्ध कराना ज़रूरी है जिसमें पते, फोटोचित्र, और धार्मिक संबद्धता शामिल हो। लेकिन अपने धर्मों से बाहर विवाह करने वाले हिंदुओं, मुसलमानों, बौद्धों, सिक्खों या जैनियों के लिए, उन समुदायों के व्यक्तिगत दर्जा क़ानूनों के तहत, अपने संपत्ति विरासत अधिकार खो देने की संभावना मौजूद रहती है।

क़ानून सिक्ख विवाहों के पंजीकरण को मान्यता देता है। व्यक्तिगत दर्जा क़ानूनों के तहत सिक्खों के लिए तलाक़ की कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं। व्यक्तिगत दर्जा संबंधित सिक्खों के अन्य मामले हिंदू संहिता के अंतर्गत आते हैं। क़ानून के तहत, कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, तलाक़ के लिए नागरिक अदालत में जा सकता है।

संविधान सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की मनाही करता है; क़ानून ग़ैर-सरकारी धार्मिक स्कूलों की अनुमति देता है।

29 में से 24 राज्य गाय जाति के पशुओं के वध पर आंशिक रूप से लेकर पूर्ण-रूपेण तक पाबंदियां लगाते हैं। राज्यों के बीच दंड अलग-अलग हैं, और इस आधार पर भी उनमें अंतर हो सकता है कि पशु गाय, बैल, बछड़ा या सांड है। यह क़ानून अधिकांशतः मुस्लिमों और अन्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों को प्रभावित करता है। जिन 24 राज्यों में गोजातीय वध पर निषेध है उनमें से अधिकांश में सज़ाओं में 6 महीने से 2 वर्ष तक की क़ैद और 1,000 से 10,000 रुपए (14 से 140 डॉलर) तक के जुर्माने शामिल हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू - कश्मीर में गोवध के लिए 2 से 10 वर्ष तक की सज़ा दी जाती है। गुजरात के क़ानून में गायों को मारने, गोमांस बेचने, और अवैध रूप से गायों या गोमांस को लाने ले जाने के लिए कम-से-कम 10 वर्ष की सज़ा (जो कि मानव-हत्या अभियोग के कुछ विषयों के लिए निर्धारित सज़ा है) और अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा (जो कि इंसानों की पहले से सोच कर की गई हत्या के लिए सज़ा है) दिए जाने का आदेश है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और 6 निर्दिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं, धार्मिक भेदभाव के आरोपों की जांच-पड़ताल करता है। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय भी तहक़ीक़ातें कर सकता है। इन निकायों के पास कोई प्रवर्तन अधिकार नहीं है, लेकिन वादियों द्वारा आपराधिक या नागरिक उल्लंघनों के आरोप लगाते हुए लिखित शिकायतों के आधार पर यह छानबीन शुरु करते हैं और अपने निष्कर्ष कार्रवाई के लिए क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों को पेश करते हैं। देश के 29 राज्यों में से 18 में तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राज्य-अल्पसंख्यक-आयोग हैं, जो धार्मिक भेदभाव के आरोपों की भी जांच करते हैं।

संविधान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातीय समुदायों के लिए, तथा "अन्य पिछड़े वर्ग" - जो कि उन दलों के लिए श्रेणी है जिन्हें सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से वंचित माना जाता है - के लिए एक प्रकार की सकारात्मक कार्यवाही की इजाज़त देता है। क्योंकि संविधान में विशिष्टत: कहा गया है कि केवल हिंदू, सिक्ख या बौद्ध ही अनुसूचित जाति के सदस्य माने जा सकते हैं, इसलिए ईसाई और मुस्लिम लोगों को धार्मिक समुदायों के सदस्यों के रूप में सकारात्मक कार्यवाही लाभों के लिए योग्य समझा जा सके इसका एक यही तरीका है कि उन्हें उनके सामाजिक तथा आर्थिक दर्जे के कारण "पिछड़े" वर्गों का सदस्य मान लिया जाए।

सरकार का आदेश है कि विदेशी धर्म-प्रचारकों के लिए मिशनरी वीज़ा प्राप्त करना आवश्यक है।

देश नागरिक और राजनीतिक अधिकारों संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा में भागीदार है।

सरकार के व्यवहार

22 जून को सरकार ने बरेली, उत्तर प्रदेश में पुलिस की पूछताछ के दौरान आई चोटों के कारण मुस्लिम मवेशी-व्यापारी मोहम्मद सलीम कुरैशी की मृत्यु हो जाने के बाद दो पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक मानव-हत्या का अभियोग लगाया। पुलिस तहक़ीक़ात के बाद अभियुक्त अधिकारियों को मुअत्तल कर दिया गया।

11 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में सामुदायिक झड़पों के बाद एक मुस्लिम युवक पुलिस की गोलीबारी में मर गया और एक हिंदू दुकानदार अपनी जलती हुई दुकान में मर गया। ये घटनाएं इन आरोपों के बाद घटीं कि अधिकारी पानी के ग़ैरक़ानूनी कनेक्शनों के बारे में भेदभाव पूर्ण ढंग से धर-पकड़ कर रहे थे, जो संभवतः चार मुस्लिम निवासियों के पानी के कनेक्शन हटा दिए जाने से प्रेरित था। हिंसा के तत्काल बाद, जिसमें 7 अधिकारियों को चोटें आईं थीं, औरंगाबाद पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। जबकि मारे गए दोनों लोगों के परिवारों ने पुलिस भेदभाव के आरोप लगाए और झड़पों की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से दिखाई गई, पुलिस ने जांच के आदेश जारी किए।

झारखंड में एक अदालत ने एक मुस्लिम व्यक्ति अलीमुद्दीन अंसारी को पीट-पीट कर मार डालने के लिए बीजेपी के एक स्थानीय अधिकारी सहित 11 लोगों को जून 2017 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। अंसारी के हत्यारों का कहना था कि वह गौमांस का व्यापार कर रहा था।

13 अगस्त को, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश अधिकारियों को एक मुस्लिम पशु व्यापारी क़ासिम कुरैशी को 18 जून को मार डालने के मामले की पुनः तहक़ीक़ात करने और रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया जिस पर भीड़ ने उस समय हमला कर दिया था जब वह गायों को ढो कर ले जाते हुए हापुड़ से गुज़र रहा था। यह आदेश तब दिया गया जब पुलिस की उस आरंभिक रिपोर्ट पर संदेह खड़ा करने वाले कई ऑन-लाइन वीडियो सामने आए जिसमें उस हमले को “रोड- रेज” की घटना बताया गया था। एक वीडियो में ख़ून से लथपथ कुरैशी इन

दावों का खंडन करता दिखाई देता है कि वह गायों को काटे जाने के लिए ले जा रहा था। उस हमले के सिलसिले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ़्तार किया और उन पर हत्या के आरोप दर्ज किए।

20 अप्रैल को गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात में 2002 के नरोड़ा पाटिया सांप्रदायिक दंगों के संबंध में गुजरात की महिला और बाल विकास राज्य मंत्री माया कोडनानी को बरी कर दिया और बजरंग दल के भूतपूर्व नेता बाबू बजरंगी की दोषसिद्धि को बरक़रार रखा। कोडनानी पर हिंदू भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया गया था। बजरंगी पर आपराधिक साज़िश, हथियार एकत्र करने, और एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया था और दोषी ठहराया गया था। मार्च में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 2002 के दंगों के दौरान 19 वर्ष की एक गर्भवती महिला, बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार में दोषी पाए गए पुलिस अफ़सरों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की स्थिति-रिपोर्ट पेश करने के अपने अनुरोध को पूरा करने के लिए गुजरात सरकार को वह और समय नहीं देगा। 25 जून को गुजरात उच्च न्यायालय ने, निचली अदालत के निर्णय को पलटते हुए, पी. राजपूत, राजकुमार चौमल और उमेश भरवाड को उस भीड़ में उलझाव के लिए 10 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई जिसने 2002 के दंगों में 96 मुसलमानों को मार डाला था। अदालत ने इस मामले में 29 अन्य लोगों को बरी किए जाने को उचित माना।

पहली अप्रैल को हैदराबाद पुलिस ने ईस्टर जूलुस के दौरान ईसाई पुस्तिकाएं बांटने पर चार ईसाइयों को “धार्मिक भावानओं को ठेस पहुंचाने” के लिए गिरफ़्तार कर लिया। ईसाई समाचार वेबसाइट वर्ल्ड वॉच मॉनिटर ने कहा कि रायपुरी ज्योति, मीना कुमारी, महिमा कुमारी, और बागदम सुधाकर के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप अप्रमाणिक थे, और कि हिंदू राष्ट्रवादी संगठन हिंदू जन शक्ति के सक्रियवादियों द्वारा की गई एक शिकायत के बाद लगाए गए थे। अधिकारियों ने उन व्यक्तियों को 3 अप्रैल को ज़मानत पर रिहा कर दिया। लेकिन अन्य समाचार रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने हिंदू जनशक्ति के चार सक्रियवादियों के विरुद्ध भी आरोप दर्ज किए जिनमें उन पर ईसाई महिलाओं को माथे पर पारंपरिक हिंदू सिंदूर लगाने पर बाध्य करने और “उनका शील भंग” करने का आरोप लगाया गया।

एक एनजीओ संगठन डिफेंडिंग फ्रीडम इंडिया (एडीएफ़आई) ने कहा कि अधिकारियों ने कई राज्यों में धर्म-परिवर्तन क़ानूनों के तहत अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध आरोप जारी रखे।

12 सितंबर को उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में पुलिस ने 271 ईसाइयों पर "हिंदूवाद के बारे में झूठ फैलाने" और कथित रूप से लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए दवा खिलाने के आरोप लगाए। पुलिस की यह कार्रवाई एक स्थानीय हिंदू दल द्वारा अदालत में एक शिकायत दर्ज करने के बाद की गई जिसमें कहा गया कि ईसाइयों ने रविवार को प्रार्थना सभाएं करना और हिंदू वाद के बारे में ग़लत सूचनाएं फैलाना बंद करने से इन्कार कर दिया। पुलिस के उप अधीक्षक अनिल कुमार पांडे ने कहा कि इन लोगों पर “धोखाधड़ी, पूजा स्थलों को अपवित्र करने, और राष्ट्रीय एकीकरण के विरुद्ध विद्वेष जैसे विभिन्न दंडनीय अपराधों के आरोप” लगाए गए थे।

10 जनवरी को जम्मू और कश्मीर पुलिस ने 8 वर्षीय आसिफ़ा बानो के अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या के सिलसिले में 8 हिंदू लोगों, जिन में चार पुलिसकर्मी और एक अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी शामिल था, को गिरफ़्तार कर लिया। पीड़ित लड़की कठुआ ज़िले में एक मुस्लिम कबायली समुदाय की थी जिसका उस समय अपहरण कर लिया गया जब वह एक चरागाह में अपने घोड़े को चरा रही थी। कहा जाता है कि वे लोग बानो को पास के एक मंदिर में ले गए जहां उसे नशीली दवा खिलाकर कई दिन तक उसके साथ बलात्कार किया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इन लोगों ने बानो के घुमंतू समुदाय को उस क्षेत्र से बाहर निकाल देने के लिए बानो के साथ बलात्कार किया और उसे मार डाला। जम्मू उच्च न्यायालय का वकील संघ एक प्रतिवाद में कई हिंदू दलों और राज्य के दो बीजेपी मंत्रियों के साथ शामिल हुआ जिसमें यह कहते हुए अभियुक्तों की रिहाई की मांग की गई कि यह एक मुस्लिम-बहुल राज्य में पुलिस तथा अभियोक्ताओं की एक हिंदू विरोधी चाल है। 7 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने मुक़दमे की सुनवाई पंजाब के पठानकोट ज़िले में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। बीजेपी के जो दो राज्य मंत्री संदिग्धों के समर्थन में हुई रैली में उपस्थित रहे थे उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

सितंबर में उत्तर प्रदेश अधिकारियों ने तीन पुलिसवालों को तब निलंबित कर दिया जब ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें उनमें से एक पुलिसवाले ने इस ख़बर पर एक हिन्दू महिला को थप्पड़ मारा कि वह एक मुस्लिम पुरुष के सहवास में रह रही थी जबकि अन्य दो अधिकारी उसे ताने मारते रहे। मीडिया ने रिपोर्ट दी कि उस अंतर-धार्मिक जोड़े को बचाने के लिए पुलिस भेजी गई जो दोनों मेडिकल कॉलेज के छात्र थे और जिन पर एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के सदस्यों ने तथाकथित "लव जिहाद" के प्रतिवाद में हमला किया था। "लव जिहाद" शब्दावली का इस्तेमाल हिंदू स्त्रियों को प्रेमजाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का मुस्लिम पुरुषों पर आरोप लगाने के लिए किया जाता है।

9 दिसंबर को बिहार राज्य के पटना ज़िले के बख्तियारपुर गांव में एक स्थानीय ईसाई पादरी द्वारा ईसा मसीह के बारे में एक फ़िल्म दिखाए जाने के बाद पुलिस ने उसे जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास के लिए गिरफ़्तार करके हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि स्थानीय निवासियों ने उस पादरी को वह फ़िल्म दिखाने से रोकने का प्रयास किया और कहा कि वे चाहते हैं कि उसे गांव से हटा दिया जाए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने पादरी को हिरासत में तो लिया लेकिन गिरफ़्तार नहीं किया और उससे कहा कि वह अपने निवास गांव लौट जाए और वापस बख्तियारपुर न आए।

मई में भारतीय ईसाइयों की विश्वव्यापी परिषद (जीसीआईसी) ने रिपोर्ट दी कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बस्ती ज़िले के बुगौलिया ब्लॉक गांव में रेवरैंड ज्ञान सिंह तथा एक अन्य पेंटेकोस्टल ईसाई को जबरन धर्म परिवर्तन के लिये गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने जीसीआईसी को बताया कि वह उन दोनों को अभियोग लगाए बिना रिहा कर देगी। जून में अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के पादरी दीपेंद्र प्रकाश मालेवर को इस आरोप के बाद गिरफ़्तार कर लिया कि उसने 16 लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया। पुलिस ने मूलतः मालेवर को तब गिरफ़्तार किया था जब एक स्थानीय हिन्दू सक्रियवादी ने उस पर हिन्दू संगठन बजरंग दल के कुछ सक्रियवादियों पर प्रहार करने का आरोप लगाया था। एक जज ने मालेवर को तहक़ीक़ात पूरी होने तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

रखे जाने का आदेश दिया; एक सप्ताह बाद अधिकारियों ने उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया। झारखंड में पुलिस ने एक ईसाई पशु चिकित्सक दालू सोरेन को 16 अक्टूबर को तब गिरफ़्तार कर लिया जब 13 वर्ष की एक लड़की के पिता ने उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की।

एशियाईन्यूज़ वेबसाइट और कैथॉलिक मीडिया केन्द्र क्रक्स के अनुसार, 4 लोगों ने एक कैथॉलिक पादरी विनीत विन्सेंट परेरा पर हमला किया जो 14 नवंबर को गोहाना, उत्तर प्रदेश में एक प्रार्थना सभा का संचालन कर रहा था। कथित रूप से यह चार हमलावर एक हिंदू दल के सदस्य थे जो उन हिंदुओं के पुनर्-धर्म-परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे जिन्होंने पहले अपने धार्मिक विश्वास बदल लिये थे। हमले के बाद, पुलिस ने परेरा को रक्षात्मक हिरासत में ले लिया, लेकिन अगले दिन उस पर दंगा करने और ग़ैरक़ानूनी सभा करने का आरोप लगा दिया। हमलावरों पर आरोप नहीं लगाया गया।

अक्टूबर में हैदराबाद पुलिस ने विख्यात मुस्लिम प्रचारक ब्रादर इमरान को तब गिरफ़्तार कर लिया जब उसने शिया समुदाय तथा एक अन्य इस्लामी दल के विरुद्ध अपमानजनक बातें कहीं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार इमरान ने "सांप्रदायिक दुश्मनी" पैदा करने की कोशिश की और शिया समुदाय की भावनाओं को आघात पहुंचाया जिससे क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया। उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और अदालत ने वर्ष समाप्त होने तक उसके मुक़दमे की सुनवाई नहीं की थी।

27 अगस्त को अहमदाबाद, गुजरात में एक विशेष अदालत ने फ़ारुख भाना और इमरान शेरु को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और अन्य तीन को जिन पर 28 फ़रवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा देने का आरोप था बरी कर दिया। उस घटना में 59 हिंदू तीर्थयात्री मारे गए थे और उसके परिणाम में 2002 में गुजरात राज्य में बड़े पैमाने पर अंतर-सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। वर्ष की समाप्ति तक, अदालतों ने उस मामले में 33 संदिग्धों को दोषी पाया और आठ को पकड़ा नहीं जा सका था।

सन् 2018 की अपनी विश्व रिपोर्ट में मानव-अधिकार निगरानी संगठन (एचआरडबल्यू) ने कहा कि सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों, वंचित समुदायों, और सरकार के आलोचकों पर भीड़ हमलों को "रोकने या विश्वसनीय तहक़ीक़ात" करने में असफल रही। एचआरडबल्यू के अनुसार, साथ ही कुछ बीजेपी अधिकारियों ने ऐसे अपराध-कर्ताओं का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया और अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए, जिससे और हिंसा को बढ़ावा मिला। एचआरडबल्यू के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुस्लिमों के विरद्ध इन अफ़वाहों के बीच कि वे गोमांस के लिए गाय हत्या या व्यापार में संलग्न थे अतिवादी हिंदू ग्रुपों द्वारा सामूहिक हिंसा पूरे वर्ष जारी रही। नवंबर तक, ऐसे 18 हमले हुए थे और वर्ष के दौरान 8 लोग मारे गए थे।

15 दिसंबर को, असम में पुलिस ने उन दो लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जिन्होंने एक कैथोलिक गिरजाघर और ग्रोटो में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने कहा कि उनका विश्वास है कि गिरजाघर के क्रूसिफ़िक्स को अपवित्र करने और एक मूर्ति को गिराने के लिए ये दोनों ज़िम्मेदार हैं।

जून में मीडिया ने रिपोर्ट दी कि अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी मुख्यमंत्री पेमा खंडु ने एलान किया कि उनकी सरकार राज्य के 40 वर्ष पुराने धर्म-परिवर्तन विरोधी क़ानून को रद्द कर देगी।

18 सितंबर को मीडिया ने रिपोर्ट दी कि हरियाणा में एक ग्राम पंचायत में एक आदेश पारित किया जिसमें मुस्लिम निवासियों से आग्रह किया गया कि वे हिंदू नाम धारण करें, दाढ़ी बढ़ाने या पारंपरिक टोपी पहनने जैसी कार्रवाई से बचें, और सार्वजनिक स्थलों पर प्रार्थना न करें। बताया जाता है कि यह एलान उस घटना के 1 महीने बाद आया जब पुलिस ने एक मुस्लिम ग्रामवासी यामीन खोखर को, जिस पर स्थानीय अधिकारियों ने एक बछड़े के ग़ैरक़ानूनी वध का आरोप लगाया था, गिरफ़्तार कर लिया। बाद की मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि ग्राम परिषद ने इस बात से इन्कार किया कि उसने वह आदेश पारित किया था।

एनजीओ सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों ने तीन अमरीकी राष्ट्रिकों को इन चिंताओं के कारण ग़ैर मिशनरी वीज़ा के तहत प्रवेश देने से इन्कार कर दिया कि उनका मिशनरी गतिविधियों में भाग लेने का इरादा था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रिकों ने इस बात से इंकार किया कि उनका वैसा इरादा था।

21 अप्रैल को, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद भरत सिंह ने कहा कि "ईसाई मिशनरी देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हैं " और कि विपक्षी कांग्रेस पार्टी "उनके (ईसाई मिशनरियों के) नियंत्रण में है"। समाचार चैनल एनडीटीवी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए, जीसीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के प्रतिनिधियों द्वारा घृणापूर्ण भाषणों में 2014 के बाद से 490 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

रांची में मिशनरीज़ ऑव चैरिटी (एमओसी) द्वारा अविवाहित माताओं के लिए चलाए जा रहे एक आश्रम में बच्चे बेचने के कांड के बारे में आरोप सामने आने के बाद ऐसा लगने के जवाब में कि सरकारी एजेंसियों द्वारा ईसाई संगठनों की सघन छानबीन और उत्पीड़न हो रहा है, झारखंड के कैथोलिक पादरियों ने अगस्त में राज्य के राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा। चर्च नेताओं ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा एमओसी पर शिकंजा कसा जाना इस संगठन को बदनाम करने की एक चाल है जो राज्य सरकार के ईसाई-विरोधी एजेंडे का हिस्सा है।

21 जून को अधिकारियों ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी का तब तबादला कर दिया जब यह ख़बर सामने आई कि उसने एक अंतर-धार्मिक जोड़े को पासपोर्ट जारी करने से इन्कार कर दिया था। मीडिया ने रिपोर्ट दी कि उस अधिकारी ने इस बात पर तन्वी सेठ को खरी-खोटी सुनाईं कि उसने अपने पति का कुलनाम अंगीकार नहीं किया, और बाद में यह सुझाव दिया कि उसके पति मोहम्मद अनस सिद्दीक़ी को हिंदू धर्म अपना लेना चाहिए। विदेश मामलों के मंत्रालय ने तब हस्तक्षेप किया जब सेठ ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी सार्वजनिक कर दी। अधिकारियों ने उस दम्पति को एक दिन बाद पासपोर्ट जारी कर दिये।

11 जून को हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना विधान सभा के सदस्य, बीजेपी के टी. राज सिंह पर अभियोग लगाया कि उन्होंने मुस्लिमों और क़ुरान के विरुद्ध घृणापूर्ण और अपमानजनक टिप्पणी की। पुलिस ने उन्हें विभिन्न दलों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोपों में गिरफ़्तार कर लिया। सिंह के ख़िलाफ़ यह 19वां मामला था जो

दर्ज हुआ। फेसबुक पर एक लाइव वीडियो प्रकरण में सिंह ने यह कहते हुए कि क़ुरान की आयतों में हिंदुओं को मार डालने की बात कही गई है, कथित रूप से यह मांग की कि क़ुरान पर निषेध लगा दिया जाए।

7 फ़रवरी को बीजेपी के संसद सदस्य विनय कटियार ने कहा कि मुस्लिमों का भारत में रहने का "कोई काम नहीं है"। एक मीडिया संगठन से बात करते हुए कटियार ने कहा कि इसके बजाय मुस्लिमों को बांग्लादेश और पाकिस्तान में बस जाना चाहिए क्योंकि भारत के बंटवारे के लिए वही ज़िम्मेदार थे।

31 जुलाई को असम सरकार ने राष्ट्रिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) का अंतिम प्रारूप प्रकाशित किया, जिस दस्तावेज़ का लक्ष्य, एक ऐसे राज्य में जिसे 1971 में भारी संख्या में विदेशियों के आ जाने का सामना करना पड़ा था, उन लोगों को परिभाषित करना है जिनका राष्ट्रिकता पर दावा है।

अधिकारियों ने 40 लाख से अधिक लोगों को इस सूची से बाहर रखा है जिनमें से बहुत से बंगाली-भाषी मुसलमान हैं। जो लोग बाहर रखे गए हैं उनकी अपील प्रक्रिया पर निगाह रखना सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष के अंत तक जारी रखा। 2016 का राष्ट्रिकता (संशोधन) बिल जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और पाकिस्तान से आए कुछ खास हिंदू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई (लेकिन मुस्लिम नहीं) आप्रवासियों को राष्ट्रिक बनने की अनुमति देगा, कड़ी आलोचना का निशाना बना रहा और वर्ष के दौरान संसद के उच्च सदन में उस पर विचार नहीं किया गया।

जनवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 में दिल्ली और पंजाब में सिक्ख विरोधी दंगों से सम्बद्ध 186 मामलों के मूल्यांकन के लिए क़ानून प्रवर्तन अधिकारियों के एक नव-गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) का आदेश दिया। जुलाई में मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि एसआईटी अपना काम शुरू करने में इस कारण नाकाम रही कि एक सदस्य ने कार्रवाई में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया।

अप्रैल में केंद्र सरकार ने पशु मंडियों में वध के लिए मवेशियों को बेचे जाने पर अपना प्रस्तावित निषेध हटा लिया जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया था। प्रेक्षकों ने यह चिंता ज़ाहिर की थी कि निषेध का सबसे नकारात्मक प्रभाव मुस्लिमों पर पड़ेगा जिनका देश के चौथाई ट्रिलियन रुपये (358 करोड़ डॉलर) के भैंसा गोश्त निर्यात उद्योग में प्रभुत्व है। प्रेक्षकों ने ध्यान दिलाया कि गोरक्षा के नाम पर उग्रता में वृद्धि से मुस्लिम, दलित, और आदिवासी समुदायों को क्षति पहुंचती है जो मवेशी व्यापार और चमड़ा उद्योगों पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। 17 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गौ-संरक्षा के नाम पर हिंसा अस्वीकार्य है और ऐसी घटनाओं को रोकने की ज़िम्मेदारी राज्यों के कंधों पर आती है। अदालत ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वे भीड़ द्वारा हिंसा को रोकने के लिए हर ज़िले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निर्दिष्ट करें, यह सुनिश्चित करें कि पुलिस हमलावरों के ख़िलाफ़ अविलंब कार्रवाई करे, और विधायिका से कहा कि वह स्वयं को गो-रक्षक कहने वालों द्वारा सामूहिक हिंसा से निपटने और अपराधियों के लिए निवारक-स्तर के दंड की व्यवस्था करने पर विचार करें।

8 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जयंत सिंहा इस बात पर सार्वजनिक संवीक्षण के घेरे में आ गए कि उन्होंने 2017 में झारखंड में एक मुस्लिम व्यापारी की हत्या के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों को गले लगाया। जो 8 लोग श्री सिंहा से मिले उन्हें अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या का अपराधी ठहराया गया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि वह गोमांस का परिवहन कर रहा था। सामाजिक टीकाकारों ने सिन्हा की आलोचना की, ख़ासतौर पर इसलिए कि वह पीड़ित के बारे में या उसके जीवित बचे परिवार के सदस्यों के लिए न्याय के बारे में कुछ नहीं बोले। ऐसी सार्वजनिक आलोचना के बाद उन्होंने हिंसा और संरक्षा के नाम पर उग्रता की भर्त्सना करने वाले बयान जारी किए।

12 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने इस्लामी धार्मिक निकायों द्वारा फ़तवा जारी करने पर पूर्ण रुपेण निषेध का निर्देश देने वाले उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश को रोक दिया। अदालत ने यह क़दम एक बलात्कार-पीड़ित की शिकायत के जवाब में उठाया जो ग्राम परिषद द्वारा उसके परिवार को गांव से निष्कासित कर दिए जाने के बारे में थी।

19 सितंबर को, सरकार ने "तीन तलाक़"- जिसके ज़रिए मुस्लिम पुरुष तीन बार तलाक़ कहकर अपनी पत्नी को तुरंत तलाक़ दे सकता है - की प्रथा पर अमल करने वाले पुरुषों पर जुर्माना लगाने और क़ैद करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया। मुस्लिम महिलाओं के दल इस प्रथा को, जो कि बहुत-से मुस्लिम बहुल देशों में ग़ैरक़ानूनी घोषित की जा चुकी है, समाप्त करने के प्रयासों के केंद्र में रहे हैं। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया था कि यह प्रथा असंवैधानिक है और इस्लामी क़ानून के असंगत है और संसद से एक नई व्यवस्था का प्रारूप तय करने का आग्रह किया था। यदि 2019 में होने वाले राष्ट्रीय संसदीय चुनावों से पहले संसद इसकी व्यवस्थाओं को क़ानून का रूप नहीं देती तो मौजूदा कार्यकारी आदेश समाप्त हो जाने वाला था।

28 अगस्त को पंजाब सरकार ने संघीय दंड संहिता में एक संशोधन पारित किया जिसमें कुछ विशिष्ट धार्मिक ग्रंथों को - गुरु ग्रंथ साहिब (सिक्खों की पवित्र पुस्तक), बाइबल, क़ुरान और भगवद्गीता - जान बूझ कर अपवित्र करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा तय की गई। मीडिया रिपोर्टों में इस संशोधन को “अत्यधिक” बताते हुए इसकी आलोचना की गई और ध्यान दिलाया गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने और राजनीतिक विरोधियों को ख़ामोश करने के लिए अधिकारियों द्वारा उसके दुरुपयोग की संभावना है। 25 सितंबर तक, प्रस्तावित संशोधन का केंद्र सरकार के विचाराधीन था, जिसके द्वारा संघीय क़ानून के राज्य-विशिष्ट संशोधनों का अनुमोदन अनिवार्य है।

महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की भांति, 6 जुलाई को गुजरात यहूदी समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा देने वाला तीसरा राज्य बन गया जिससे राज्य के "अधिकार क्षेत्र के भीतर धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कल्याण योजनाओं का लाभ" उसके सदस्यों को उपलब्ध होगा।

सरकार ने मुस्लिम शैक्षणिक संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रति 2016 से चली आ रही अपनी चुनौती जारी रखी जो नौकरियां देने और पाठ्यक्रम संबंधी निर्णयो में उन संस्थानों को स्वतंत्रता देता है। केंद्र सरकार ने यह कहना जारी रखा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संसद के क़ानून के तहत स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसलिए उसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता।

उन ट्रेन स्टेशनों, द्वीपों और सड़कों के, जिनके पहले ब्रिटिश या इस्लामी नाम थे, नए नाम रखने की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करते हुए राज्य तथा स्थानीय प्रशासनों ने वर्ष के दौरान भारत के शहरों के नाम बदलने के 25 प्रस्ताव गृह मंत्रालय को पेश किए। एशियान्यूज़ और रॉयटर्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं ने ऐसे कुछ शहरों के नाम बदलने का निर्णय लिया जो "अति इस्लामी लगते थे"। अक्टूबर में उत्तर प्रदेश ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। नवंबर में अधिकारियों ने फ़ैज़ाबाद ज़िले का नाम बदल कर अयोध्या कर दिया, जहां हिंदुओं का विश्वास है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। सक्रियवादियों का कहना था कि इन प्रस्तावों का लक्ष्य है भारतीय इतिहास में मुस्लिम योगदानों को मिटा देना और कि इससे सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि हुई है।

मार्च में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के 2017 के उस आदेश को पलट दिया जिसमें एक हिंदू महिला और एक मुस्लिम पुरुष के विवाह को तीसरे पक्ष के इन आरोपों के आधार पर रद्द कर दिया गया था कि महिला को जबरन इस्लाम अपनाने पर बाध्य किया गया, हालाँकि महिला ने इसका खंडन किया था।

खंड III धार्मिक स्वतंत्रता के सामाजिक सम्मान की स्थिति

सितम्बर में राजस्थान पुलिस ने हरियाणा के डेरी फ़ार्म के काम में लगे एक मुसलमान रकबर खान के मारे जाने के सिलसिले में तीन लोगों पर हत्या का अभियोग लगाया। 21 जुलाई को, उग्र गोरक्षकों के एक दल ने उस समय खान पर हमला किया जब वह रात के समय दो गायों को ले जा रहा था। अधिकारियों ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को तब निलंबित कर दिया जब यह रिपोर्ट मिली कि उस अधिकारी ने खान को, जो उस समय तक होश में था, 4 किलोमीटर (ढ़ाई मील) दूर स्थानीय अस्पताल तक ले जाने में 4 घंटे का समय लगा दिया। जब खान वहां पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमला उसी ज़िले, अलवर में हुआ जहां अप्रैल 2017 में भीड़ ने डेरी फ़ार्म के काम में लगे मुसलमान पेहलू खान को गौ तस्करी के संदेह में मार डाला था।

दिसंबर में 300 से अधिक लोगों की अनुमानित भीड़ ने, जो ख़बर है इन रिपोर्टों के कारण क्रुद्ध थी कि क्षेत्र में गायों को काटा जा रहा है, चिग्रावती में एक पुलिस स्टेशन पर एक पुलिस अधिकारी को उस समय मार डाला जब वह उन्हें शांत करने का प्रयास कर रहा था। एक 18 वर्षीय प्रदर्शनकारी भी मारा गया। भीड़ ने पुलिस स्टेशन और कई कारों को आग लगा दी। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ़्तार किया और ख़बर है वर्ष के अंत तक 23 अन्य लोगों की तलाश कर रही थी।

मध्यप्रदेश के सतना ज़िले में 17 मई को एक भीड़ ने दो मुस्लिम पुरुषों पर यह आरोप लगाते हुए हमला किया कि वे एक बैल का वध कर रहे थे, और उनमें से एक को मार डाला। पुलिस ने चार आक्रमणकारियों को गिरफ़्तार किया और घायल अवस्था में जीवित बचे व्यक्ति पर गो वध का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की, जिसने इस आरोप से इन्कार किया।

20 जनवरी को तमिलनाडु के कांचीपुरम में मकनयीम चर्च का ईसाई पादरी गिडियन पेरियास्वामी अपने निवास पर मृत पाया गया। उसके धर्म संघ के सदस्यों का आरोप था कि उसकी हत्या की गई और कि वह पहले भी हिंदू रूढ़िवादी संगठनों द्वारा अक्सर उत्पीड़न का शिकार रहा था।

पहली नवंबर को हिन्दू पुजारी डी सत्यनारायण हैदराबाद के एक अस्पताल में उन चोटों के कारण मर गया जो उसे 26 अक्तूबर को वारांगल शहर में आई थीं। कहा जाता है कि मृत पुजारी जिस मंदिर में काम करता था वहां लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर एक बहस के दौरान मुस्लिम इमाम सैयद सादिक़ हुसैन ने पुजारी पर प्रहार किया। पुलिस ने इमाम पर हत्या और अनधिकार प्रवेश का आरोप लगाया और मुक़दमा चलने तक उसे हिरासत में ले लिया। फ़रवरी में मीडिया ने रिपोर्ट दी कि 23 वर्ष के एक हिंदू व्यक्ति अंकित सक्सेना को दिल्ली की एक व्यस्त सड़क पर कथित रूप से उस मुस्लिम महिला के परिवार के सदस्यों ने मार डाला जिससे उसका प्रेम था। अधिकारियों ने महिला के माता-पिता, चाचा और एक नाबालिग भाई को गिरफ़्तार कर लिया जिन्हें ख़बर है इस अंतरधार्मिक संबंध पर आपत्ति थी, और मई में उस परिवार के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया।

मीडिया आंकड़े परियोजना इंडिया स्पैंड ने बताया कि वर्ष की समाप्ति तक गौरक्षा के नाम पर उग्रता से संबंधित 8 मौतें हुईं और उग्र गोसंरक्षण की कुल 31 वारदातें सामने आईं। आंकड़ों के अनुसार, पीड़ितों में 73 प्रतिशत मुस्लिम लोग थे। 2017 में 108 पीड़ित थे और 43 घटनाओं में 13 मौतें हुई थीं, और 2016 में 67 पीड़ित और 30 घटनाओं में 9 मौतें हुई थीं। जबकि 2017 में पीड़ितों में से 60 प्रतिशत मुसलमान थे, 2016 में वे 42 प्रतिशत थे और 34 प्रतिशत दलित थे।

सितंबर में अधिकारियों ने 2014 और 2016 के बीच केरल में मिशनरी ऑव जीसस धर्मसंघ की एक नन के साथ बलात्कार के लिए कैथोलिक पादरी फ़्रेन्को मुलक्कल को गिरफ़्तार कर लिया। सरकार ने पादरी को अक्टूबर में ज़मानत पर रिहा कर दिया, मुक़द्दमा 2019 में चलाया जाना तय हुआ। वेटिकन ने अस्थाई तौर पर उसे उसके दायित्वों से मुक्त कर दिया। मीडिया ने रिपोर्ट दी कि अधिकांश ईसाई, पादरी का समर्थन करते नज़र आए और उन्होंने नन के आरोपों पर सवाल उठाए, जबकि अन्य ने समर्थन व्यक्त किया। पादरी की गिरफ़्तारी से पहले गर्मियों के दौरान, मशीनरी ऑव जीसस की ननों ने अधिकारियों से क़दम उठाने की मांग करते हुए प्रतिवाद किया और जलसे-जुलूस आयोजित किए।

मार्च में मीडिया ने रिपोर्ट दी कि हिंदू राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल के सदस्यों ने गुजरात में छतराल नगर में एक मुस्लिम महिला रौशन बी की उंगली काट दी और उसके बेटे फ़रज़ान सैयद पर हमला किया जब उन लोगों ने इन चेतावनियों पर अमल नहीं किया कि वे अपने मवेशियों को चराना केवल मुस्लिम इलाकों तक ही सीमित

रखें। चोटों के कारण बाद में सैयद की मौत हो गई। पुलिस ने सामुदायिक प्रतिवादों के बाद पांच आक्रमणकारियों को गिरफ़्तार किया।

12 मार्च को, कई सूत्रों के अनुसार, बीजेपी के एक संसद सदस्य के हिंदू समर्थकों ने उज्जैन, मध्य प्रदेश में एक कैथोलिक अस्पताल पर हमला किया और नर्सों तथा नन के साथ बदसलूकी की। बताया जाता है कि समर्थक उस भूमि पर, जहां वह अस्पताल स्थित है, मिल्कियत के विवाद से प्रेरित थे। सांसद चितमणि मालवीय ने अस्पताल के ख़िलाफ़ 2015 में और फिर जनवरी में दावे पेश किए थे। अस्पताल और चर्च ने उसके दावों का खंडन किया। दो बुलडोज़रों का इस्तेमाल करते हुए और हथियारों से लैस लगभग 100 लोगों की भीड़ ने अस्पताल की दीवार का एक हिस्सा तोड़ डाला, बिजली की सप्लाई और जेनेरेटर यूनिट को क्षति पहुंचाई और उस अस्पताल के पानी के कनेक्शन को काट दिया जिसमें लगभग 200 बिस्तर हैं। रिपोर्टों के अनुसार, हमले के दौरान चर्च के अधिकारियों ने सरकार के उच्च अफ़सरों से संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। पुलिस ने 2 दिन बाद इस घटना की रिपोर्ट दर्ज की।

एशियान्यूज़ के अनुसार, फ़रवरी में हिंदुओं के एक दल ने बिहार के पश्चिम चंपारण ज़िले में कथित "जबरन धर्म-परिवर्तन" का संचालन करने के लिये एक पेंटेकोस्टल ईसाई पादरी पर हमला किया और उसकी पिटाई की। वह मिशनरी 13 अन्य पेंटेकोस्टल लोगों के साथ बस पर सवार था जब उसी बस पर मौजूद एक हिंदू, ख़बर है कि ईसाई विश्वासों के बारे में उनकी बातचीत को सुनकर परेशान हो उठा और उसने अगले बस स्टॉप पर साथी हिंदुओं को सचेत कर दिया। जब बस पहुंची तो बताया जाता है कि हिंदुओं ने उस पादरी और दल के एक अन्य सदस्य को मारा-पीटा, और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। शुरू में पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इन्कार किया, लेकिन बाद में पादरी और उसके दल के अन्य सदस्यों के बयान लेने पर राज़ी हो गई।

23 जुलाई को, मीडिया ने रिपोर्ट दी कि एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ियाबाद में एक अदालत के बाहर एक मुस्लिम व्यक्ति साहिल ख़ान पर हमला किया जो एक हिंदू महिला के साथ अपने विवाह को रजिस्टर करा रहा था। बताया जाता है कि भीड़ खान को अदालत से बाहर घसीट लाई और सड़क पर उसकी पिटाई की और फिर उसकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले के सिलसिले में पुलिस ने दो व्यक्तियों के ख़िलाफ़ आरोप दर्ज किए।

एशियान्यूज़ के अनुसार 16 दिसंबर को तमिलनाडु में लगभग डेढ़ सौ लोगों की एक भीड़ ने 16 ईसाइयों के एक दल पर हमला किया जो क्रिसमस के भजन गा रहा था।

मीडिया ने रिपोर्ट दी कि 24 मई को एक सिक्ख पुलिस अधिकारी गगनदीप सिंह ने रामनगर, उत्तराखंड में एक भीड़ को तब एक मुस्लिम युवक की हत्या करने से रोक दिया जब कथित रूप से स्थानीय लोगों ने उसे एक मंदिर में एक हिंदू स्त्री से मिलते हुए पाया था। घटना के वीडियो में दिखाई देता है कि पुलिस अफ़सर सिंह को उस समय कई आधात लगे जब वह मुस्लिम युवक को भीड़ से बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया। भीड़ ने मुस्लिम युवक पर “लव जिहाद” का आरोप लगाया। बाद में पुलिस ने पांच हमलावरों को गिरफ़्तार कर लिया

और उन पर आरोप दर्ज किए। सिंह को, उसके इस क़दम के बाद, मौत की धमकियां प्राप्त हुईं, और उसे उसकी अपनी सुरक्षा के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया।

एडीएफआई ने रिपोर्ट दी कि हिंदू राष्ट्रवादी दलों ने, मुख्यतः ग्रामीण समुदायों में, इस बहाने ईसाइयों और उनके चर्चों पर हमले किए कि वे जबरन धर्म परिवर्तन में लगे हुए थे, और चर्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी चिंताओं के कारण 15 चर्चों को बंद कर दिया गया। वर्ष के अंत तक सरकार उन चर्चों को फिर से खोलने के लिए काम कर रही थी। एडीएफ़आई ने यह भी कहा कि फ़तेहपुर में उस समय एक पादरी पर हमला किया गया जब वह रविवार की प्रार्थना सभा का संचालन कर रहा था, और एक भीड़ ने 35 विभिन्न चर्चों के सदस्यों द्वारा, जो वाराणसी में एक कैथोलिक चर्च में एकत्र हुए थे, क्रिसमस के भजन गाने पर प्रतिवाद किया।

भारत के इवैन्जैलिकल फ़ैलोशिप के धार्मिक स्वतंत्रता कमिशन (ईएफ़आई-आरएलसी) ने वर्ष के दौरान ईसाइयों और चर्चों के ख़िलाफ़ हिंसा और हमलों के 325 मामले दर्ज किए जबकि इसकी तुलना में 2017 में 351 और 2016 में 247 मामले दर्ज किए गए थे। उसकी 2018 की रिपोर्ट में ऐसी घटनाओं पर नज़र रखी गई जिनमें ईसाइयों को हिंसा, डराने-धमकाने, या परेशान करने का लक्ष्य बनाया गया और उसने ध्यान दिलाया कि दर्ज की गई घटनाओं में से 40 प्रतिशत से अधिक उत्तर प्रदेश में घटीं और उनमें सितंबर और दिसंबर के बीच उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कथित रूप से हिंदू राष्ट्रवादी दलों द्वारा "बल तथा धोखाधड़ी द्वारा धर्म परिवर्तन" का दावा करते हुए चर्चों को लक्ष्य बनाया गया जिसके परिणाम में प्रार्थना सभाओं में व्यवधान पड़ा, पादरियों और भक्तों को परेशान किया गया तथा पादरियों और आम ईसाइयों को गिरफ़्तार किया गया या हिरासत में लिया गया। इनमें से 12 प्रतिशत घटनाएं बताया जाता है कि तमिलनाडु में घटीं।

एनजीओ प्रॉसीक्यूशन रिलीफ़ ने 2018 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ईसाइयों के विरुद्ध हिंसा की 477 घटनाओं की रिपोर्ट दी जिसकी तुलना में 2017 में यह संख्या 440 थी। उस संगठन ने यह भी कहा कि देश में धार्मिक मामलों की स्थिति अधिक खराब होती जा रही है क्योंकि धार्मिक हिंसा करने वालों पर अक्सर मुक़दमे नहीं चलाए जाते। उत्पीड़न का सबसे आम रूप था "धमकियां, परेशान करना, डराना"। उस एनजीओ के अनुसार 2017 के मुक़ाबले ऐसी घटनाओं में 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मीडिया ने रिपोर्ट दी कि 24 जनवरी को तेलंगाना के नगरकुरनूल ज़िले में अज्ञात लोगों ने बाइबल के तेलुगु अनुवाद की कई प्रतियों को जला दिया। उन्होंने गिडियन्स इंटरनेशनल के ईसाई सक्रियवादियों को वे प्रतियां उन्हें देने पर बाध्य किया जो वे बांटने की योजना बना रहे थे।

6 फ़रवरी को एमएचए ने संसद के निचले सदन में आंकड़े पेश किए जो दर्शाते हैं कि 2015 से 2017 तक धार्मिक हिंसा की घटनाओं में 9 प्रतिशत वृद्धि हुई। 2017 में 822 घटनाएं घटीं जिनके परिणाम में 111 मौतें हुई और 2,384 चोटें आईं।

फ़रवरी में कोलकाता में *"घर वापसी"* (हिन्दू संगठनों की मदद से उन लोगों की पुनर्-धर्म-परिवर्तन गतिविधियां जिन्होंने पहले हिंदू धर्म को छोड़ दिया था) का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन सामने आया जब "हिंदू संहति" संगठन ने एक मुस्लिम परिवार के उन 16 सदस्यों को एक सार्वजनिक सभा में पेश किया जिन्हें पुनः धर्म परिवर्तन करके फिर हिंदू धर्म में शामिल कर लिया गया था। हिंदू संहति के संस्थापक तपन घोष ने कहा कि वह इससे पहले काफ़ी समय से ऐसी घटनाओं का आयोजन करते रहे हैं लेकिन उन्होंने पुनः धर्म परिवर्तित लोगों को सार्वजनिक रूप से सामने लाने का निर्णय किया क्योंकि "यह उसका सही समय है।"

अंतर्राष्ट्रीय ईसाई चिंता (आईसीसी) ने ईस्टर के निकट के समय में ईसाइयों पर 10 हमले दर्ज किए। आईसीसी ने रिपोर्ट दी कि 5 अप्रैल को हिंदू राष्ट्रवादियों ने छत्तीसगढ़ में बस्तर ज़िले के वकेल गांव में एक प्रार्थना सभा पर हमला किया और 6 ईसाइयों को घायल कर दिया। 6 अप्रैल को एडीएफआई ने अपनी वर्ल्ड वॉच मॉनिटर वेब साइट पर हिंदू राष्ट्रवादी दलों द्वारा हैदराबाद में या उसके समीप 17 ईसाई विरोधी घटनाओं की रिपोर्ट दी।

उत्तर प्रदेश में कानपुर ज़िले के नौबस्ता में हिंदू राष्ट्रवादियों के भगवा झंडे लहराते हुए एक भीड़ ने रविवार की प्रार्थना सभा के दौरान 2 दिसंबर को एक चर्च पर यह मांग करते हुए हमला किया कि पादरी और भक्तजन तुरंत प्रार्थना सभा रोकें और गिरजाघर को बंद कर दें। मौके पर मौजूद पुलिस ने ईसाइयों से चले जाने को कहा और फिर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया, जिन्होंने धमकी दी कि वे अगले सप्ताह फिर लौटेंगे। इस घटना से 2 दिन पहले एक पुलिस इंस्पैक्टर ने पादरी को सूचित किया था कि उसके ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज किये जाने के बाद उस पर "जबरन धर्म-परिवर्तनों" का आरोप लगाया जा रहा है । घटना के बाद, पुलिस ने पादरी और उसके समुदाय द्वारा चर्च सेवाओं में व्यवधान के बारे में औपचारिक शिकायतें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।

समाचारपत्र *टाइम्स ऑव इंडिया* तथा अन्य मीडिया ने रिपोर्ट दी कि 25 मार्च को तेलंगाना के निर्मल ज़िले में उस समय एक क्रुद्ध भीड़ को क़ाबू में करने के लिए पुलिस ने लाठी चलाने और आंसू गैस छोड़ने जैसे उपायों का इस्तेमाल किया जब हिंदुओं के राम-नवमी त्योहार को मनाने के लिए निकाले जा रहे एक जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने कथित रूप से एक स्थानीय मस्जिद पर पत्थर फेंके और एक भगवा ध्वज मस्जिद में फेंक दिया। प्रदर्शनकारियों के साथ मुठभेड़ों में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक सिपाही को चोटें आईं। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने लगातार तीन दिन तक दंड संहिता का वह खंड लागू किया जिसके तहत 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने की मनाही कर दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट में ज़िला पुलिस अध्यक्ष का यह कहते हुए हवाला दिया गया कि हिंदू वाहिनी के 6 सक्रियवादियों तथा तीन मुस्लिम प्रतिवादियों को गिरफ़्तार किया गया।

3 जून को गोवा और दमन के आर्चबिशप फिलिप नेरी फरारो ने अपने वार्षिक धर्मपत्र में कैथोलिक लोगों से सामाजिक अन्याय और “एकल संस्कृतिवाद” की उस प्रवृत्ति से लड़ने का आग्रह किया, जो यह निर्देश देने का प्रयास करती है कि भारतीयों को “क्या खाना, क्या पहनना, कैसे रहना और यहां तक की कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए”। प्रत्युत्तर में, हिंदू राष्ट्रवादी दल विश्व हिंदू परिषद के एक नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि देश के ईसाई गिरजाघर बीजेपी की “वर्तमान निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए वेटिकन के साथ साज़िश कर रहे हैं”। एशियान्यूज़ के अनुसार, ‘जैन ने आगे कहा कि वेटिकन न केवल विश्वभर में हिंदुओं को बल्कि एक राष्ट्र के रूप में भारत को भी बदनाम करता है और कि भारत के गिरजाघर उनके (यानी वेटिकन) के हाथ की कठपुतलियों के रूप में कार्य कर रहे हैं”। जैन ने पत्र के उस अंश की भी आलोचना की जिसमें फरारो ने “भारत में मानवाधिकारों को रौंदे जाने” की बात कही थी ।

जून में मीडिया ने रिपोर्ट दी कि पुणे, महाराष्ट्र में एक मुस्लिम सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमन खान ने श्रम कमिश्नर के सम्मुख एक शिकायत दर्ज की जिसमें आरोप लगाया कि उसके पर्यवेक्षक ने तब उसे इस्तीफा देने पर बाध्य किया जब उसने खान को कार्यालय में नमाज अदा करते देखा।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, झारखंड के लातेहार ज़िले में जुलाई में हिंदू दलों ने उस समय ईसाई परिवारों को उनके गांव से निकल जाने पर बाध्य किया जब उन्होंने अपना धर्म त्यागने से इन्कार कर दिया। रिपोर्टों में कहा गया कि वह परिवार "डर में रह रहे थे" और इसलिए वापस नहीं लौटे क्योंकि स्थानीय अधिकारी उनकी सहायता करने में असमर्थ या अनिच्छुक थे।

अगस्त में, विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल के हिंदुओं के एक दल ने बिहार में एक पेंटेकोस्टल चर्च पर, जबरन धर्म परिवर्तनों का आरोप लगाते हुए, हमला किया और चर्च को क्षतिग्रस्त कर दिया। चर्च ने कहा कि यह एक "झूठा आरोप" है।

मीडिया ने 25 अगस्त को रिपोर्ट दी कि दक्षिण भारतीय गायक ओ. एस. अरुण ने चेन्नई में ईसाई कर्नाटक संगीत समारोह में भाग लेने से तब अपना नाम वापस ले लिया जब तमिलनाडु स्थित हिंदू संगठन राष्ट्रीय सनातन सेवा संगम ने उस समारोह से जुड़ने वाले हिंदू कलाकारों को हिंदू धर्म के प्रति विश्वासघाती कहा और ऐसे किसी भी हिन्दू गायक को धमकी दी जो ईसाई भजन गाये।

अक्टूबर में समाचार पत्र *इंडिया टुडे* ने हिंदू राष्ट्रवादी संगठन सनातन संस्था पर एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया जिसमें उस संगठन के 2 प्रतिनिधियों ने 2008 में महाराष्ट्र में कुछ विशिष्ट फ़िल्मों और नाटकों में हिंदूवाद के "आपत्तिजनक" चित्रण को लेकर सिनेमाघरों के बाहर हमलों में अपने उलझाव को कथित रूप से स्वीकार किया।

वर्ष के दौरान ईसाई स्थलों तथा प्रतीकों को लक्ष्य बनाकर तोड़ाफोड़ी की कई घटनाएं घटीं। मार्च में ओड़िशा के अलीगोंडो में वर्जिन मैरी की एक प्रतिमा उस ग्रोटो में शीर्ष-रहित पाई गई जो चर्च में उन्हीं को समर्पित थी। ओडिशा में ईस्टर रविवार से पहले रात में उत्पातियों ने एक अन्य कैथोलिक चर्च पर हमला किया और उस कक्ष

को आग लगा दी जहां पवित्र वस्तुएं संजोकर रखी गई थीं। 10 अप्रैल को अनुमानतः 500 लोगों की एक भीड़ ने केरल में नेयात्तिनकारा में एक ईसाई आश्रम केंद्र पर पत्थर फेंके और उसकी खिड़कियां और प्रवेश द्वार चकनाचूर कर दिए। 31 मार्च की रात को, अलापूज़ा ज़िले में पुन्नामूडु में अज्ञात लोगों ने एक ऑर्थोडॉक्स चर्च हॉल में तोड़फोड़ मचाई, खिड़कियां तोड़ डालीं और दरवाज़े गिरा दिए।

मीडिया ने रिपोर्ट दी कि 11 मार्च को मदुरई, तमिलनाडु में एक पेंटेकोस्टल चर्च में, कथित रूप से एक हिंदू दल के सदस्यों ने तोड़फोड़ की तथा बाइबल की प्रतियां जला दीं, जीसीआईसी के अनुसार, वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य में अनेक गिरिजाघरों को तोड़ फोड़ के कृत्यों का सामना करना पड़ा।

परंपरा और सामाजिक प्रथा के कारण अनेक पूजा स्थलों में महिलाओं और दलितों को प्रवेश न मिलना जारी रहा। 28 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने केरल में हिंदू सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगा निषेध उलट दिया। मीडिया के अनुसार इस निर्णय ने देश भर में राजनीतिक विवाद भड़का दिया। पहली मई को मीडिया ने रिपोर्ट दी की पुडुचेरी में श्री कामाची समेता बूदनाधीश्वर मंदिर में जब एक दलित महिला ने एक त्यौहार के दौरान प्रवेश करने की कोशिश की तो उसे मंदिर में नहीं जाने दिया गया। लोगों के एक दल ने उस महिला को घेर लिया और ज़िद पर अड़ गए कि वह वहां से चली जाए और "अपने समुदाय के मंदिर में" जाए।

हिंदू राष्ट्रवादी दलों और बीजेपी के सदस्यों ने तमिलनाडु में श्री रंगनाथस्वामी मंदिर के प्रशासकों के विरुद्ध इस बात पर शिकायत दर्ज की कि उन्होंने कैथोलिक ननों के एक दल को, जो एक पर्यटक दल का हिस्सा था, मई में उस मंदिर में प्रवेश की इजाज़त दी। शिकायत के अनुसार, एक हिंदू पूजा स्थल पर ननों की अपनी धार्मिक पोशाक में उपस्थिति हिंदू धर्म में विश्वास करने वालों का अपमान और मंदिर की पवित्रता का उपहास थी।

हिंदू राष्ट्रवादी क्षेत्रीय दल, शिवसेना ने अपने आधिकारिक समाचार पत्र में लिखा कि देश के मुस्लिम समुदाय में अत्यधिक बच्चे हैं और उसे “परिवार नियोजन नीति की आवश्यकता है”। अखबार के 4 दिसंबर के संपादकीय में कहा गया कि “देश की स्थिरता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए” ऐसी नीति की आवश्यकता है। उसमें आगे कहा गया कि “भारतीय मुसलमानों की संख्या बुलेट ट्रेन की रफ़्तार से बढ़ती जा रही है। उन पर परिवार नियोजन लागू करना एकमात्र समाधान है"।

केरल में बाढ़ के बाद, एक हिंदू धार्मिक हस्ती चक्रपाणी महाराज ने कहा कि आपात् सहायता केवल उन्हीं को उपलब्ध कराई जाए जो गोमांस नहीं खाते। महाराज ने कहा कि बाढ़ें गोमांस के उपभोग पर देवताओं के क्रोध के कारण आई हैं, और उन्होंने इसे “गौमांस खाने वालों का पाप” बताया। लेकिन अन्य प्रेस रिपोर्टों में कहा गया कि महाराज के विपरीत, अधिकांश देश केरल में उन सभी लोगों की सहायता करने का गहन समर्थक है जिन्हें सहायता की आवश्यकता है।

मार्च में एक प्रकाशक ने विश्व नेताओं के बारे में बच्चों की एक पुस्तक में एडोल्फ़ हिटलर को भी शामिल किया। बी.जैन प्रकाशन दल के प्रकाशन प्रबंधक अनूशू जुनेजा ने कहा कि हिटलर को इसलिये शामिल किया गया क्योंकि "उनकी नेतृत्व प्रवीणता और भाषणों ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया"। साइमन वाइज़ैन्थॉल केंद्र के सह-अध्यक्ष रैबाई अब्राहम कूपर ने एक बयान में कहा "एडोल्फ हिटलर? यह वर्णन नात्ज़ियों और उनके जातिवादी नव-नात्ज़ी उत्तराधिकारियों की आंखों में खुशी के आंसू ले आएगा"। बाद में प्रकाशक ने उस पुस्तक की बिक्री बंद कर दी।

खंड IV. संयुक्त राज्य अमरीका की नीति और आबंध

पूरे वर्ष के दौरान दूतावास और महावाणिज्य दूतावासों के प्रतिनिधियों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर ईसाइयों और मुस्लिमों के सामने आने वाली चुनौतियों, गौ-रक्षा के नाम पर उग्रता की घटनाओं, देश में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति, और धार्मिकता प्रेरित हिंसा के बारे में विचार विमर्श करने के लिए सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की। राजदूत ने भारत में जो भी यात्राएं की उनमें से लगभग सभी में उन्होंने धार्मिक समुदायों के साथ संपर्क साधा जिनमें बौद्ध, ईसाई, हिंदू, जैन, यहूदी, मुस्लिम,और सिक्ख समुदाय शामिल हैं।

अमेरिका के प्रतिनिधियों ने सभ्य समाज और धार्मिक नेताओं के साथ धर्म-परिवर्तन विरोधी क़ानूनों, दफ्तर-शाही के बढ़ते राजनीतिकरण, उन लोगों को अक्सर स्थानीय सम्मान दिया जाना जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा के कृत्य करते हैं, इस्लामी तलाक़ का मामला, व्यक्तिगत धार्मिक क़ानूनों की संविधान के अनुरूप हिफ़ाज़त करने की चुनौती, विश्वविद्यालयों का अल्पसंख्यक दर्जा, और गोमांस पर निषेधों के बारे में विचार-विमर्श किया।

मई में राजदूत ने एक इफ़्तार पार्टी की मेज़बानी की जिसमें मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिक्ख और यहूदी समुदाय के नेताओं, पत्रकारों, और अनेक राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया, जिसमें उन्होंने धार्मिक विविधता के प्रति दोनों देशों की साझा वचनबद्धता, और दूसरे धर्मों के प्रति सहानुभूति के महत्व पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका के राजदूत ने जब जून में भारत यात्रा की तो राजदूत के साथ उन्होंने पुरानी दिल्ली के विविध धार्मिक स्थलों का दौरा किया जो देश की आध्यात्मिक विविधता की समृद्ध परंपरा को रेखांकित करते हैं, और उन्होंने मुस्लिम, जैन, हिंदू, ईसाई, और सिक्ख नेताओं से मुलाकात की। जुलाई में राजदूत ने लद्दाख की यात्रा की और बुद्ध धर्म के नेताओं से मुलाकात की, जो क्षेत्र में एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है, और सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की धार्मिक विविधता और लद्दाख के धर्म और संस्कृति को रेखांकित किया। अगस्त में विदेश विभाग के दक्षिण और मध्यवर्ती एशियाई मामलों के वरिष्ठ अधिकारी ने मुस्लिम और ईसाई समुदायों के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक गोल-मेज़ वार्ता आयोजित की और धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि पर बातचीत की। दिसंबर में विदेश विभाग के धार्मिक अल्पसंख्यकों संबंधी विशेष सलाहकार ने भारत में धार्मिक

अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में विचार विनिमय के लिए दिल्ली और लखनऊ में सरकारी अधिकारियों, धार्मिक अल्पसंख्यक दलों, और सभ्य समाज के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की।

दूतावास और वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने धार्मिक स्वतंत्रता पर बातचीत करने, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि से संबंधित चिंताओं और इस भावना को समझने के लिए कि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए वितान सिकुड़ रहा है, तथा धार्मिक उत्पीड़न और धार्मिक रूप से प्रेरित हमलों की रिपोर्टों से सम्बद्ध मामलों को मॉनिटर करने के लिए धार्मिक संगठनों, मिशनरी समुदायों, और सभी धार्मिक पृष्ठभूमियों वाले एनजीओ से मुलाकात करना जारी रखा। दूतावास और वाणिज्य दूतावास प्रतिनिधियों ने जामा मस्जिद के इमाम, कई मस्जिदों के नेताओं, हिंदू पुरोहितों, और इसाई तथा कैथोलिक नेताओं से, और साथ ही भारत के इस्लामी सांस्कृतिक केंद्र, अखिल भारतीय इमाम संगठन, पारसी समुदाय के प्रतिनिधियों और सिक्ख नेताओं से मुलाकात की।

धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता के महत्व पर बल देने और विभिन्न धार्मिक दलों के नेताओं को एक साथ लाने के लिए दूतावास और वाणिज्य दूतावासों ने रमादान, होली, ईद-उल-फित्र तथा ईस्टर सहित, प्रमुख धार्मिक पर्वों के अवसर पर समारोहों की मेज़बानी की। भारत यात्रा कर रहे अमेरिका के एनाहेम, कैलिफोर्निया और लूइविल, केंटकी के महापौरों के लिए फ़रवरी में मुंबई की माहिम दरगाह(एक मुस्लिम मज़ार) के ट्रस्टी सुहैल खंडवानी ने एक अंतर धार्मिक वार्तालाप का आयोजन किया। मार्च में चेन्नई स्थित महावाणिज्य दूत ने अंतर धार्मिक संबंधों के एक अमेरिकी विशेषज्ञ का आतिथेय किया। विशेषज्ञ ने मुंबई में लोकतांत्रिक नेतृत्व के भारतीय संस्थान के स्नातक छात्रों, और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान विस्थापित हुए मुस्लिम बच्चों के लिए चल रहे एक स्कूल में 200 से अधिक मुस्लिम युवाओं के साथ सहिष्णुता के बारे में विचार विमर्श किया।